फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :— श्री जगदीश **विपक्षी :— श्री गिरधारी**

किस्म मुकदमा — 128 भू.रा.अधि. **पत्रावली संख्या : 63/18**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 28.12.2021 पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान—2021 कैम्प लोपडा में पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पडोसी खातेदार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। अतः विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। प्रार्थी की खातेदारी भूमि की सीमा को लेकर विवाद होने से विवाद की समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं। **—: आदेश :—** प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा बीडघास पटवार हल्का लोपडा की आराजी नम्बर 563, 564, 878 किता 3 रकबा 8 बीघा भूमि की चारो दिशाओं की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार मावली को 500/— पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि उभय पक्षकारान की उपस्थिति में दिनांक 22.02.2022 को पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थी अदा करेगें। निर्णय सुनाया गया। **(मयंक मनीष IAS)** **सहायक कलक्टर** **(SDO)मावली** Signature Not Verified Digitally signed by Mayank Manish Date: 2022.01.21 10:43:33 IST Reason: SelfAttested	